संख्या-38/2016/यू0ओ0-92/एक-6-2016-रा0-6-194/2016-
ऊर्जा अनुभाग-3

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
ऊर्जा विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2016**

विषय- जनपद सम्भल में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बहजोई के निर्माण हेतु तहसील चन्दौसी के ग्राम रम्पुरा में स्थित राजस्व विभाग के स्वामित्व की नान जेड0ए0 भूमि गाटा संख्या-212, रकबा-1.215 हे0 भूमि ऊर्जा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र संख्या- 937/डी0एल0आर0सी0/ 2016, दिनांक 04 जनवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सम्भल में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बहजोई के निर्माण हेतु तहसील चन्दौसी के ग्राम रम्पुरा में स्थित राजस्व विभाग के स्वामित्व की नान जेड0ए0 भूमि गाटा संख्या-212, रकबा- 1.215 हे0 भूमि जिसका विवरण निम्नवत है, अपरिहार्य परिस्थितियों में जनहित में सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 एवं गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 के तहत श्री राज्यपाल महोदय उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित किये जाने हेतु ऊर्जा विभाग को 90 वर्ष के पट्टे पर नि:शुल्क दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

भूमि का विवरण

जनपद/तहसील	राजस्व ग्राम	भूखण्ड/गाटा संख्या/रकबा संख्या
1	2	3
सम्भल/चन्दौसी	रम्पुरा	गाटा संया-212, रकबा संख्या-1.215 हे0

(1) प्रश्नगत प्रस्तावित भूमि जनपद सम्भल में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बहजोई के निर्माण हेतु प्रथमत: 90 वर्ष के लिये पट्टे पर दी जायेगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा।

(2) भूमि पर स्वामित्व राजस्व विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग जनपद सम्भल में 132 उपकेन्द्र बहजोई के निर्माण हेतु किया जायेगा। उक्त प्रयोजन समाप्त हो जाने पर या इससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर अथवा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होने पर भूमि पुन: राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी और पट्टा स्वत: समाप्त माना जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) पट्टेदार द्वारा ऋण लेने के प्रयोजन से भूमि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था में बन्धक रखने के पूर्व शासन की लिखित अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(4) पट्टा असंक्रमणीय होगा अर्थात पट्टेदार को पट्टा शुदा भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन आदि को अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।

(5) पट्टा-विलेख को अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जायेगा और इस हेतु स्टाम्प शुल्क पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(6) भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वत:निरस्त समझा जायेगा।

(7) पट्टा विलेख का निष्पादन गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 एवं सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित नियमावली, 1987 यथा संशोधित नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय की ओर से जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा किया जायेगा।

(8) पट्टे की अवधि एवं प्रीमियम/वार्षिक किराये की सांकेतिक धनराशि एक रूपये होगी।

2- कृपया तदनुसार प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- यू0ओ0-92(1)/एक-6-2016, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
4- जिलाधिकारी, सम्भल ।
5- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in